



ज्ञानविविधा

कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की सहकर्म-समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका

ISSN : 3048-4537(Online)

3049-2327(Print)

IIFS Impact Factor-2.25

Vol.-2; Issue-4 (Oct.-Dec.) 2025

Page No.- 477-483

©2025 Gyanvividha

<https://journal.gyanvividha.com>

Author's :

1. प्रकाश कुमार

(शोधार्थी) इतिहास विभाग, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा.

2. डॉ. अमरेन्द्र कुमार

शोध पर्यवेक्षक, वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभाग, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा.

Corresponding Author :

प्रकाश कुमार

(शोधार्थी) इतिहास विभाग, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा.

भारत में मानवाधिकार आंदोलन का ऐतिहासिक विकास : बंधुआ मजदूरों एवं प्रवासी श्रमिकों के संदर्भ में

सारांश : भारत में बंधुआ मजदूरी और प्रवासी श्रम का इतिहास देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना से गहराई से जुड़ा रहा है। बंधुआ मजदूरी का संबंध गरीबी, ऋणग्रस्तता, भूमिहीनता और आर्थिक निर्भरता से रहा है, जबकि प्रवासी श्रम का विकास रोजगार, आजीविका और बेहतर आय की तलाश में श्रमिकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के साथ हुआ। समय के साथ दोनों ही क्षेत्रों में श्रमिकों के शोषण, कम मजदूरी, असुरक्षित कार्य-परिस्थितियों, स्वतंत्रता की कमी और सामाजिक सुरक्षा के अभाव से जुड़े मानवाधिकार प्रश्न सामने आए। इन समस्याओं ने भारत में मानवाधिकार आंदोलन को श्रमिक अधिकारों के प्रश्न से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक आंदोलनों, श्रमिक संगठनों, मानवाधिकार संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों ने श्रमिकों की समस्याओं को सार्वजनिक विमर्श में लाने तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रयास किए। भारतीय संविधान ने समानता, गरिमापूर्ण जीवन तथा शोषण और जबरन श्रम से मुक्ति का आधार प्रदान किया। बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 तथा प्रवासी श्रमिकों से संबंधित कानूनी प्रावधानों ने श्रमिक संरक्षण को आगे बढ़ाया। न्यायपालिका ने भी जनहित याचिकाओं और विभिन्न मामलों के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों और गरिमा के संरक्षण में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया।

इसके बावजूद बंधुआ मजदूरी के छिपे स्वरूप, ऋण एवं ठेकेदार व्यवस्था, प्रवासी श्रमिकों की पहचान, उचित मजदूरी, सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा, पुनर्वास और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए कानूनी संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच अभी भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बंधुआ मजदूरी और प्रवासी श्रम अलग-अलग श्रम स्थितियाँ हैं, लेकिन कुछ सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में इनके बीच संबंध दिखाई दे सकता है। अतः मानवाधिकारों की वास्तविक सुरक्षा के लिए केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उनकी प्रभावी क्रियान्वयन व्यवस्था, श्रमिकों की पहचान, समय पर सहायता, पुनर्वास और सामाजिक-आर्थिक संरक्षण पर निरंतर ध्यान देना आवश्यक है।

मुख्य शब्द : बंधुआ मजदूरी, प्रवासी श्रमिक, मानवाधिकार, श्रमिक अधिकार, श्रम शोषण, सामाजिक सुरक्षा, पुनर्वास।

प्रस्तावना : भारत में बंधुआ मजदूरी और प्रवासी श्रम की समस्या देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना से लंबे समय से जुड़ी रही है। गरीबी, आर्थिक असमानता, भूमिहीनता, ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी और असुरक्षित रोजगार जैसी परिस्थितियों ने अनेक श्रमिकों को ऐसी स्थिति में पहुँचाया है जहाँ उन्हें अपनी आजीविका के लिए कठिन और असमान श्रम संबंधों को स्वीकार करना पड़ता है। बंधुआ मजदूरी में श्रमिक प्रायः ऋण या अग्रिम राशि के कारण अपने श्रम पर स्वतंत्र नियंत्रण खो देता है, जबकि प्रवासी

श्रमिक रोजगार और बेहतर आय की तलाश में अपने मूल स्थान से दूसरे क्षेत्रों या राज्यों में जाते हैं। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में ठेकेदार और बिचौलिया व्यवस्था श्रमिकों की आर्थिक निर्भरता को बढ़ा सकती है।

बंधुआ मजदूरी और प्रवासी श्रम को केवल श्रम या रोजगार की समस्या के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। इनके साथ मानव गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शोषण से मुक्ति, उचित मजदूरी, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियाँ, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार प्रश्न जुड़े हुए हैं। बंधुआ मजदूरों के मामले में जबरन श्रम और श्रम-स्वतंत्रता का प्रश्न प्रमुख होता है, जबकि प्रवासी श्रमिकों के सामने रोजगार की अनिश्चितता, मजदूरी का शोषण, असुरक्षित कार्यस्थल, आवास और सामाजिक सुरक्षा तक सीमित पहुँच जैसी समस्याएँ दिखाई देती हैं। हालांकि प्रत्येक प्रवासी श्रमिक बंधुआ मजदूर नहीं है और प्रत्येक बंधुआ मजदूर प्रवासी श्रमिक नहीं है, फिर भी कुछ सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में प्रवासी श्रमिक बंधुआ श्रम, जबरन श्रम और अन्य प्रकार के शोषण के जोखिम में आ सकते हैं।

इन परिस्थितियों ने भारत में मानवाधिकार आंदोलन को श्रमिक अधिकारों के प्रश्न से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक आंदोलनों, श्रमिक संगठनों, मानवाधिकार संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों ने श्रमिकों की समस्याओं को सार्वजनिक विमर्श में उठाया तथा उनके अधिकारों और गरिमा के संरक्षण के लिए प्रयास किए। भारतीय संविधान ने समानता, गरिमापूर्ण जीवन तथा शोषण और जबरन श्रम से मुक्ति का आधार प्रदान किया। बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों और न्यायिक हस्तक्षेपों ने श्रमिक संरक्षण को मजबूत किया। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में बंधुआ मजदूरी और प्रवासी श्रम के ऐतिहासिक विकास के साथ मानवाधिकार आंदोलन, कानूनी संरक्षण और उनकी वास्तविक स्थिति को मुख्य अध्ययन-विषय बनाया गया है।

शोध के उद्देश्य : इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में बंधुआ मजदूरी एवं प्रवासी श्रम के ऐतिहासिक विकास, मानवाधिकार संबंधी समस्याओं तथा शोषण की स्थितियों का अध्ययन करते हुए मानवाधिकार आंदोलनों, संवैधानिक प्रावधानों, कानूनी संरक्षण और उनके वास्तविक क्रियान्वयन का विश्लेषण करना है।

शोध प्रश्न : भारत में मानवाधिकार आंदोलन ने बंधुआ मजदूरों एवं प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण तथा उनके सामाजिक-आर्थिक शोषण को रोकने के लिए संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था के विकास को किस प्रकार प्रभावित किया?

शोध-पद्धति : प्रस्तुत अध्ययन में ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध-पद्धति का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में भारतीय संविधान, बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979, श्रम संबंधी सरकारी अधिनियम, श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट, जनगणना रिपोर्ट, सरकारी समितियों की रिपोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णय तथा संसदीय दस्तावेज शामिल हैं। द्वितीयक स्रोतों में बंधुआ मजदूरी, प्रवासी श्रम, मानवाधिकार आंदोलन और श्रमिक आंदोलनों से संबंधित पुस्तकें, शोध-पत्र, शोध प्रबंध, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ तथा मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टों का अध्ययन किया गया है। इन स्रोतों के आधार पर बंधुआ मजदूरी, प्रवासी श्रम, मानवाधिकार और कानूनी संरक्षण का ऐतिहासिक एवं समकालीन विश्लेषण किया गया है।

साहित्य समीक्षा : भारत में बंधुआ मजदूरी, प्रवासी श्रम और श्रमिकों के मानवाधिकारों से संबंधित विषय पर पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है। बंधुआ मजदूरी से संबंधित अध्ययनों में गरीबी, ऋणग्रस्तता, भूमिहीनता, आर्थिक निर्भरता और ठेकेदार व्यवस्था को इसके प्रमुख कारणों के रूप में समझाया गया है। इन अध्ययनों में कृषि, ईंट-भट्ठा, खनन, निर्माण तथा अन्य असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के शोषण और बंधुआ श्रम के विभिन्न स्वरूपों पर चर्चा मिलती है। दूसरी ओर, प्रवासी श्रम से संबंधित साहित्य में रोजगार की तलाश में श्रमिकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, मौसमी और अस्थायी प्रवास, कम मजदूरी, असुरक्षित कार्य-परिस्थितियाँ तथा सामाजिक सुरक्षा की कमी जैसे प्रश्नों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

मानवाधिकार संबंधी साहित्य में श्रमिकों की गरिमा, स्वतंत्रता, शोषण से मुक्ति, उचित मजदूरी, सुरक्षित कार्यस्थल और सामाजिक सुरक्षा को प्रमुख अधिकारों के रूप में देखा गया है। मानवाधिकार आंदोलन, श्रमिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा न्यायपालिका की भूमिका पर भी विभिन्न अध्ययनों में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान, बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 तथा प्रवासी श्रमिकों से संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रभाव और सीमाओं पर भी अध्ययन उपलब्ध हैं। कोविड-19 के दौरान प्रवासी श्रमिकों की स्थिति ने इस विषय पर नए अध्ययन को बढ़ावा दिया। हालांकि बंधुआ मजदूरी और प्रवासी श्रम को एक साथ रखते हुए मानवाधिकार आंदोलन, कानूनी संरक्षण और वास्तविक स्थिति का समग्र ऐतिहासिक अध्ययन अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। प्रस्तुत अध्ययन इसी शोध-अंतर को ध्यान में रखता है।

भारत में बंधुआ मजदूरी का ऐतिहासिक विकास : भारत में बंधुआ मजदूरी का इतिहास देश की सामाजिक, आर्थिक और कृषि व्यवस्था से गहराई से जुड़ा रहा है। बंधुआ मजदूरी ऐसी श्रम व्यवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति ऋण, अग्रिम राशि, गरीबी या अन्य आर्थिक मजबूरी के कारण किसी व्यक्ति या नियोक्ता के लिए ऐसी शर्तों पर काम करता है जिनसे उसकी श्रम-स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। भारत के ग्रामीण समाज में भूमिहीनता, संसाधनों की कमी, सामाजिक असमानता और आर्थिक निर्भरता ने लंबे समय तक कमजोर वर्गों को प्रभावशाली जमींदारों, साहूकारों और नियोक्ताओं पर निर्भर बनाए रखा। औपनिवेशिक काल में कृषि, खनन, बागान, निर्माण तथा विभिन्न श्रम क्षेत्रों के विस्तार के साथ श्रमिकों की मांग बढ़ी, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों की स्थिति में व्यापक सुधार नहीं हुआ। ऋण और अग्रिम भुगतान के बदले श्रम लेने की व्यवस्था ने कई स्थानों पर श्रमिकों की निर्भरता को बनाए रखा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने शोषण और जबरन श्रम के विरुद्ध महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान किया और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने की दिशा में राज्य की जिम्मेदारी स्पष्ट हुई। इसके

बावजूद गरीबी, ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी और रोजगार के सीमित अवसरों के कारण बंधुआ मजदूरी के कुछ रूप विभिन्न क्षेत्रों में बने रहे।

बंधुआ मजदूरी का स्वरूप समय और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग रहा है। कृषि क्षेत्र में ऋण या अग्रिम राशि के बदले लंबे समय तक काम करने की व्यवस्था देखने को मिली, जबकि ईंट-भट्टों में ठेकेदारों द्वारा अग्रिम भुगतान और परिवार के साथ मौसमी श्रम की व्यवस्था कुछ श्रमिकों को आर्थिक निर्भरता की स्थिति में ला सकती है। खनन और निर्माण क्षेत्र में भी असुरक्षित रोजगार, कम मजदूरी तथा ठेकेदार व्यवस्था के कारण श्रम शोषण की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। घरेलू कार्य और अन्य असंगठित क्षेत्रों में भी श्रमिकों की कमजोर सौदेबाजी क्षमता उनके शोषण का कारण बन सकती है। हालांकि प्रत्येक गरीब या प्रवासी श्रमिक को बंधुआ मजदूर मानना उचित नहीं है, लेकिन गरीबी, ऋण, अग्रिम भुगतान और श्रम पर नियंत्रण जैसी परिस्थितियाँ बंधुआ श्रम के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 ने इस प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने का महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। फिर भी इसकी वास्तविक समाप्ति केवल कानून बनाने से संभव नहीं है श्रमिकों की पहचान, मुक्ति, पुनर्वास, वैकल्पिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की प्रभावी व्यवस्था भी आवश्यक है। इस प्रकार भारत में बंधुआ मजदूरी का ऐतिहासिक विकास केवल एक श्रम व्यवस्था का इतिहास नहीं, बल्कि गरीबी, आर्थिक निर्भरता, श्रम शोषण और मानव गरिमा के संघर्ष से जुड़ा विषय है।

भारत में प्रवासी श्रम का ऐतिहासिक विकास : भारत में प्रवासी श्रम का विकास रोजगार, आजीविका और आर्थिक अवसरों की तलाश में श्रमिकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया से जुड़ा रहा है। प्रवासी श्रमिक से आशय ऐसे श्रमिक से है जो रोजगार या आय के उद्देश्य से अपने मूल निवास स्थान से किसी दूसरे क्षेत्र, जिले या राज्य में जाकर काम करता है। औपनिवेशिक काल में कृषि, चाय एवं अन्य बागानों, खनन, रेलवे, बंदरगाहों तथा विभिन्न निर्माण कार्यों के विस्तार के साथ श्रमिकों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना बढ़ा। कई श्रमिक आर्थिक मजदूरी और रोजगार की आवश्यकता के कारण दूर-दराज के क्षेत्रों में काम करने के लिए गए। स्वतंत्रता के बाद औद्योगीकरण, नगरीकरण, कृषि में परिवर्तन तथा क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार के असमान अवसरों ने आंतरिक और अंतरराज्यीय श्रम प्रवासन को बढ़ावा दिया। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों और औद्योगिक केंद्रों की ओर श्रमिकों का जाना रोजगार की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन गया। समय के साथ मौसमी और अस्थायी प्रवासी श्रम का स्वरूप भी विकसित हुआ, जिसमें श्रमिक वर्ष के कुछ महीनों के लिए दूसरे स्थान पर जाकर काम करते हैं और काम समाप्त होने के बाद अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं। इस प्रकार प्रवासी श्रम भारतीय श्रम व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।

प्रवासी श्रमिकों का रोजगार विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। कृषि क्षेत्र में फसल की बुआई, कटाई और अन्य मौसमी कार्यों के लिए श्रमिकों का प्रवास होता है। निर्माण क्षेत्र में भवन, सड़क, पुल तथा अन्य परियोजनाओं में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक काम करते हैं। ईंट-भट्टों में भी अनेक श्रमिक परिवार मौसमी रूप से दूसरे क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं और कई बार उनका रोजगार ठेकेदारों या बिचौलियों के माध्यम से निर्धारित होता है। उद्योगों में कारखाना श्रमिकों तथा अन्य अस्थायी श्रमिकों का प्रवास रोजगार के अवसरों से जुड़ा है। घरेलू कार्य और सेवा क्षेत्र में भी प्रवासी श्रमिक रोजगार प्राप्त करते हैं। इन क्षेत्रों में रोजगार मिलने से श्रमिकों की आय बढ़ सकती है, लेकिन अस्थायी रोजगार, कम मजदूरी, असुरक्षित कार्य-परिस्थितियाँ, आवास की समस्या और सामाजिक सुरक्षा की सीमित उपलब्धता जैसी कठिनाइयाँ भी सामने आती हैं। कुछ परिस्थितियों में ठेकेदार या बिचौलिये पर अत्यधिक निर्भरता श्रमिकों के शोषण का जोखिम बढ़ा सकती है। हालांकि प्रत्येक प्रवासी श्रमिक शोषण या बंधुआ मजदूरी का शिकार नहीं होता, फिर भी कमजोर आर्थिक स्थिति और असुरक्षित रोजगार की परिस्थितियाँ कुछ श्रमिकों को गंभीर श्रम शोषण के प्रति संवेदनशील बना सकती हैं। इसलिए भारत में प्रवासी श्रम के ऐतिहासिक विकास को केवल रोजगार के लिए होने वाले स्थानांतरण के रूप में नहीं, बल्कि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति, रोजगार की प्रकृति और उनके अधिकारों से जुड़े व्यापक सामाजिक संदर्भ में समझना आवश्यक है।

बंधुआ मजदूरी और प्रवासी श्रम का संबंध : भारत में बंधुआ मजदूरी और प्रवासी श्रम अलग-अलग श्रम स्थितियाँ हैं, लेकिन कुछ सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में इनके बीच संबंध दिखाई देता है। गरीबी, बेरोजगारी, रोजगार की असुरक्षा और सीमित आय के कारण अनेक श्रमिक काम की तलाश में अपने मूल स्थान से दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं। प्रवास के दौरान यदि श्रमिक के पास स्थायी रोजगार, पर्याप्त आय और सामाजिक सुरक्षा का अभाव हो, तो वह नियोक्ता या ठेकेदार पर अधिक निर्भर हो सकता है। इसी प्रकार ऋणग्रस्तता और अग्रिम राशि की व्यवस्था भी श्रमिक की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। कई बार श्रमिक अपने ऋण या अग्रिम राशि को चुकाने के लिए कम मजदूरी पर लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर होता है। ऐसी स्थिति में श्रम-निर्भरता बढ़ने के साथ शोषण का खतरा भी बढ़ जाता है।

ठेकेदार और बिचौलिया व्यवस्था प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यही व्यवस्था शोषण का माध्यम भी बन सकती है। मजदूरी में कटौती, काम के घंटों में वृद्धि, असुरक्षित कार्यस्थल, रहने की खराब व्यवस्था और मजदूरी के भुगतान में देरी जैसी समस्याएँ प्रवासी श्रमिकों के सामने आ सकती हैं। विशेष रूप से ईंट-भट्टा, निर्माण, कृषि और अन्य असंगठित क्षेत्रों में अग्रिम भुगतान तथा मौसमी प्रवास के कारण श्रमिकों की निर्भरता बढ़ सकती है। ऐसी परिस्थितियों में कुछ प्रवासी श्रमिक बंधुआ या जबरन श्रम के जोखिम में आ सकते हैं। प्रत्येक प्रवासी श्रमिक बंधुआ मजदूर नहीं है और प्रत्येक बंधुआ मजदूर प्रवासी श्रमिक नहीं है। लेकिन कुछ सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में प्रवासी श्रमिक बंधुआ श्रम, जबरन श्रम और श्रम शोषण के जोखिम में आ सकते हैं। दोनों के बीच समानता मुख्य रूप से गरीबी, आर्थिक असुरक्षा, श्रम शोषण और सामाजिक सुरक्षा की कमी से जुड़ी है, जबकि प्रमुख

अंतर यह है कि प्रवासी श्रम मुख्यतः रोजगार के लिए स्थान परिवर्तन से संबंधित है और बंधुआ मजदूरी श्रमिक की श्रम-स्वतंत्रता पर नियंत्रण से जुड़ी होती है। इसलिए दोनों समस्याओं को समझते समय उनके अंतर के साथ-साथ उन परिस्थितियों पर भी ध्यान देना आवश्यक है जो प्रवासी श्रमिक को बंधुआ या जबरन श्रम की स्थिति में पहुँचा सकती हैं।

बंधुआ मजदूरों एवं प्रवासी श्रमिकों के मानवाधिकार : बंधुआ मजदूरों और प्रवासी श्रमिकों के मानवाधिकारों का प्रश्न मुख्य रूप से उनके सम्मानजनक जीवन, स्वतंत्रता और श्रम संबंधी अधिकारों से जुड़ा है। बंधुआ मजदूरी की स्थिति में ऋण, अग्रिम राशि या आर्थिक निर्भरता के कारण श्रमिक की श्रम-स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। इससे उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है। कम मजदूरी, लंबे समय तक काम, मजदूरी रोकना, अपमानजनक व्यवहार और काम छोड़ने की स्वतंत्रता पर रोक जैसी स्थितियाँ श्रमिकों के शोषण को बढ़ाती हैं। प्रवासी श्रमिकों को भी अस्थायी रोजगार, कम मजदूरी, असुरक्षित काम और रहने की कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि प्रत्येक प्रवासी श्रमिक शोषित नहीं होता, फिर भी असंगठित और असुरक्षित रोजगार में मानवाधिकार उल्लंघन का जोखिम अधिक हो सकता है।

जबरन श्रम से मुक्ति बंधुआ मजदूरों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण अधिकार है। किसी श्रमिक को ऋण, धमकी, दबाव या अन्य प्रकार की मजदूरी के आधार पर उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए बाध्य करना उसके श्रम अधिकार और स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन है। इसी प्रकार श्रमिक को उचित मजदूरी मिलना आवश्यक है। मजदूरी रोकना, निर्धारित मजदूरी से कम भुगतान करना या काम के अनुपात में उचित पारिश्रमिक न देना आर्थिक शोषण का रूप है। श्रमिकों को सुरक्षित कार्य-परिस्थिति, पर्याप्त विश्राम, स्वास्थ्य सुविधा और दुर्घटनाओं से सुरक्षा का अधिकार भी होना चाहिए। प्रवासी श्रमिकों के लिए अपने रोजगार और कार्यस्थल के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने तथा बिना अनुचित दबाव के आवागमन करने की स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है।

स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की कमी भी श्रमिकों के अधिकारों को प्रभावित करती है। बीमारी, दुर्घटना, बेरोजगारी या वृद्धावस्था की स्थिति में सहायता का अभाव श्रमिक परिवारों को और अधिक असुरक्षित बना सकता है। प्रवासी श्रमिकों के परिवार और बच्चों के अधिकार भी महत्वपूर्ण हैं। लंबे समय तक प्रवास के कारण बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और पारिवारिक देखभाल प्रभावित हो सकती है। इसलिए बंधुआ मजदूरों और प्रवासी श्रमिकों के मानवाधिकारों की रक्षा में गरिमा, स्वतंत्रता, उचित मजदूरी, सुरक्षित कार्य, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार और बच्चों के अधिकार को एक साथ देखना आवश्यक है।

मानवाधिकार आंदोलन और बंधुआ मजदूरी : भारत में बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध मानवाधिकार आंदोलन का विकास श्रमिकों की स्वतंत्रता, गरिमा और शोषण से मुक्ति के प्रश्न के साथ हुआ। गरीबी, ऋणग्रस्तता और आर्थिक निर्भरता के कारण बंधुआ मजदूर लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर रहे। इनके विरुद्ध सामाजिक आंदोलनों ने बंधुआ मजदूरी की समस्या को सार्वजनिक स्तर पर उठाया और राज्य तथा समाज का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। श्रमिक संगठनों ने मजदूरों को संगठित करने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और शोषण के विरुद्ध सामूहिक आवाज उठाने का कार्य किया। मानवाधिकार संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों ने बंधुआ मजदूरों की पहचान, उनकी मुक्ति, कानूनी सहायता और पुनर्वास के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए। इन संगठनों ने ईंट-भट्टों, कृषि, खनन, निर्माण तथा अन्य असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की स्थिति को सामने लाने में भूमिका निभाई। विशेष रूप से ऐसे मामलों को सामने लाया गया जहाँ ऋण या अग्रिम राशि के कारण श्रमिकों की स्वतंत्रता सीमित थी। इस प्रकार बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध आंदोलन केवल मजदूरी बढ़ाने का प्रयास नहीं रहा, बल्कि श्रमिक की स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा और शोषण से मुक्ति के अधिकार से जुड़ा आंदोलन बना।

बंधुआ मजदूरों की केवल पहचान और मुक्ति पर्याप्त नहीं थी, इसलिए मानवाधिकार आंदोलन ने उनके पुनर्वास और वैकल्पिक आजीविका के प्रश्न को भी महत्व दिया। मुक्त श्रमिकों को आर्थिक सहायता, रोजगार, आवास, शिक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने की मांग आंदोलनों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। सामाजिक संगठनों और गैर-सरकारी संस्थाओं ने प्रशासन के सामने मामलों को उठाने तथा श्रमिकों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का कार्य किया। जनहित याचिकाओं ने भी बंधुआ मजदूरी के मामलों को न्यायपालिका तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायालयों के हस्तक्षेप से बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास के संबंध में राज्य की जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। इस प्रक्रिया में मानवाधिकार आंदोलन ने बंधुआ मजदूरी को केवल आर्थिक या श्रम संबंधी समस्या न मानकर मानव गरिमा और स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में स्थापित करने में योगदान दिया। हालांकि आंदोलन और कानूनी प्रयासों के बावजूद बंधुआ मजदूरी के छिपे हुए स्वरूप और पुनर्वास की समस्याएँ बनी रहीं, इसलिए बंधुआ मजदूरों की निरंतर पहचान, कानूनी सहायता, सामाजिक जागरूकता और प्रभावी पुनर्वास आज भी आवश्यक हैं।

मानवाधिकार आंदोलन और प्रवासी श्रमिक : भारत में प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के लिए मानवाधिकार आंदोलन का विकास मुख्य रूप से उचित मजदूरी, सुरक्षित कार्य-परिस्थिति, सम्मानजनक व्यवहार और सामाजिक सुरक्षा की मांगों के साथ हुआ। रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले श्रमिक कई बार अस्थायी और असंगठित रोजगार में काम करते हैं, जहाँ उनके अधिकारों की जानकारी और संस्थागत संरक्षण सीमित हो सकता है। श्रमिक संगठनों ने ऐसे श्रमिकों को संगठित करने, उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाने और मजदूरी तथा कार्य-परिस्थितियों से जुड़े अधिकारों के लिए आवाज उठाने का प्रयास किया। मानवाधिकार संगठनों ने प्रवासी श्रमिकों के शोषण, मजदूरी में अनियमितता, असुरक्षित कार्यस्थल और सामाजिक सुरक्षा की कमी जैसे प्रश्नों को सामने रखा। मीडिया ने भी प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को

सार्वजनिक विमर्श का विषय बनाने में भूमिका निभाई। समाचार रिपोर्टों और अन्य माध्यमों से श्रमिकों की कार्य-स्थितियों, आवास, मजदूरी और रोजगार संबंधी समस्याओं की जानकारी व्यापक समाज तक पहुँची। इन प्रयासों से प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के प्रति सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और उनके साथ होने वाले संभावित अधिकार उल्लंघनों पर ध्यान आकर्षित करने में सहायता मिली।

कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों की स्थिति ने मानवाधिकार से जुड़े अनेक प्रश्नों को विशेष रूप से सामने ला दिया। रोजगार समाप्त होने, आय के स्रोत बंद होने, भोजन और आवास की कठिनाइयों तथा अपने मूल स्थानों तक लौटने की समस्या के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक असुरक्षित परिस्थितियों में आ गए। इस समय मानवाधिकार संगठनों, श्रमिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, मीडिया और नागरिक समूहों ने भोजन, राहत, परिवहन तथा कानूनी और सामाजिक सहायता से संबंधित समस्याओं को उठाया। महामारी के अनुभव ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि संकट के समय सामाजिक सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच भी आवश्यक है। इसके बाद प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के संबंध में सामाजिक जागरूकता, कानूनी जानकारी और सरकारी योजनाओं तक पहुँच बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया गया। इस प्रकार मानवाधिकार आंदोलन ने प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को सार्वजनिक चर्चा में लाने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और श्रम शोषण की स्थितियों के विरुद्ध सामाजिक हस्तक्षेप को मजबूत करने में भूमिका निभाई।

बंधुआ मजदूरी एवं प्रवासी श्रमिकों का कानूनी संरक्षण : भारत में बंधुआ मजदूरों और प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा का प्रमुख आधार भारतीय संविधान और श्रम संबंधी कानून हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 19 नागरिकों को आवागमन और व्यवसाय से संबंधित स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा का आधार है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है तथा बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध महत्वपूर्ण संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 24 बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने से सुरक्षा देता है। नीति-निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति के दुरुपयोग से सुरक्षा तथा समान कार्य के लिए उचित पारिश्रमिक की दिशा देता है। अनुच्छेद 41 काम और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित राज्य के प्रयासों का आधार है, जबकि अनुच्छेद 42 मानवीय कार्य-परिस्थितियों और प्रसूति सहायता तथा अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीवन-निर्वाह योग्य मजदूरी और सम्मानजनक जीवन-स्तर की दिशा निर्धारित करता है। बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 ने बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने, बंधुआ दायित्वों को समाप्त करने और बंधुआ मजदूरों की मुक्ति का कानूनी आधार प्रदान किया। न्यूनतम मजदूरी से संबंधित कानूनी प्रावधानों का उद्देश्य श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक से कम मजदूरी दिए जाने से संरक्षण देना रहा है।

प्रवासी श्रमिकों के कानूनी संरक्षण के लिए अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979 महत्वपूर्ण रहा, जिसके अंतर्गत अंतरराज्यीय स्तर पर नियोजित श्रमिकों से संबंधित नियोजता और ठेकेदार की जिम्मेदारियों तथा मजदूरी और अन्य सुविधाओं के संबंध में प्रावधान किए गए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य स्वास्थ्य, दुर्घटना, वृद्धावस्था और अन्य सामाजिक जोखिमों की स्थिति में सुरक्षा उपलब्ध कराना है। बाद में श्रम कानूनों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से श्रम संहिताएँ बनाई गईं, जिनमें वेतन संहिता, 2019, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-परिस्थिति संहिता, 2020 तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 शामिल हैं। इनमें मजदूरी, कार्यस्थल की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और प्रवासी श्रमिकों से संबंधित प्रावधानों को एक व्यापक कानूनी ढाँचे में रखा गया है। इस प्रकार संविधान से लेकर श्रम कानूनों और श्रम संहिताओं तक भारत में बंधुआ मजदूरी एवं प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के लिए एक विस्तृत कानूनी आधार विकसित हुआ है।

न्यायपालिका और मानवाधिकार संरक्षण : भारत में न्यायपालिका ने बंधुआ मजदूरों के मानवाधिकारों और श्रम स्वतंत्रता के संरक्षण में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1983) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बंधुआ मजदूरों की स्थिति को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन और अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जबरन श्रम से मुक्ति के अधिकार से जोड़ा। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास राज्य की जिम्मेदारी है। नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में भी न्यायालय ने केवल बंधुआ मजदूरों को मुक्त करना पर्याप्त नहीं माना, बल्कि उनके पुनर्वास की आवश्यकता पर जोर दिया। लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जन संघ बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 23 की व्याख्या करते हुए जबरन श्रम के प्रश्न को व्यापक रूप से देखा गया। इन न्यायिक हस्तक्षेपों से यह स्पष्ट हुआ कि अत्यंत कम मजदूरी, आर्थिक दबाव और ऐसी परिस्थितियाँ, जिनमें श्रमिक की स्वतंत्रता वास्तविक रूप से सीमित हो, मानवाधिकार संरक्षण के प्रश्न से जुड़ सकती हैं। न्यायपालिका ने जनहित याचिका के माध्यम से गरीब और असंगठित श्रमिकों को न्याय तक पहुँच का अवसर भी प्रदान किया। बंधुआ मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए न्यायालय ने प्रशासन को उनकी पहचान, मुक्ति और पुनर्वास के लिए सक्रिय कदम उठाने की दिशा में निर्देश दिए।

प्रवासी श्रमिकों के संदर्भ में न्यायपालिका का हस्तक्षेप विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान सामने आया। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं और कठिनाइयों के संबंध में स्वतः संज्ञान मामले में प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का संज्ञान लिया और उनके आवागमन, भोजन, आश्रय तथा आवश्यक सहायता से जुड़े प्रश्नों पर केंद्र और राज्य सरकारों से कार्रवाई की अपेक्षा की। इस न्यायिक हस्तक्षेप ने यह स्पष्ट किया कि संकट की परिस्थितियों में प्रवासी श्रमिकों के अधिकार केवल रोजगार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके जीवन, गरिमा, स्वास्थ्य और बुनियादी आवश्यकताओं की सुरक्षा

से भी जुड़े हैं। इस प्रकार न्यायपालिका ने बंधुआ मजदूरों के मामले में मुक्ति, गरिमा और पुनर्वास तथा प्रवासी श्रमिकों के मामले में जीवन, सुरक्षा और आवश्यक सहायता जैसे प्रश्नों को न्यायिक संरक्षण के दायरे में रखा। जनहित याचिका और न्यायिक निगरानी ने उन श्रमिकों की समस्याओं को सामने लाने में विशेष भूमिका निभाई, जो अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के कारण स्वयं न्यायालय तक पहुँचने में कठिनाई का सामना करते हैं।

चयनित प्रतिदर्शों का अध्ययन : बंधुआ मजदूरी की स्थिति को समझने के लिए ऐसे क्षेत्रों का अध्ययन आवश्यक है जहाँ गरीबी, ऋणग्रस्तता और आर्थिक निर्भरता के कारण श्रमिकों की श्रम-स्वतंत्रता प्रभावित होती है। बंधुआ मजदूरों के मामले में ऋण या अग्रिम राशि के बदले लंबे समय तक काम करना, कम मजदूरी, काम छोड़ने में कठिनाई और शोषण जैसी स्थितियाँ मानवाधिकार का प्रश्न बन जाती हैं। ईंट-भट्ठा श्रमिकों का प्रतिदर्श इस संबंध को अधिक स्पष्ट करता है, क्योंकि यहाँ बंधुआ मजदूरी, प्रवासी श्रम और ठेकेदार व्यवस्था एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं। अनेक श्रमिक परिवार मौसमी रोजगार के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं और ठेकेदार से अग्रिम राशि प्राप्त करते हैं। कुछ परिस्थितियों में यही आर्थिक निर्भरता श्रमिकों को बंधुआ या जबरन श्रम के जोखिम में डाल सकती है। हालांकि प्रत्येक ईंट-भट्ठा श्रमिक बंधुआ मजदूर नहीं होता, फिर भी मजदूरी, कार्य-स्वतंत्रता, सुरक्षित कार्यस्थल और सम्मानजनक जीवन से जुड़े अधिकारों की रक्षा आवश्यक है। ऐसे मामलों में बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 तथा अन्य श्रम संबंधी कानूनी प्रावधान संरक्षण का आधार प्रदान करते हैं।

निर्माण क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों के मामले में रोजगार के लिए स्थान परिवर्तन के साथ कम मजदूरी, लंबे कार्य-घंटे, असुरक्षित कार्यस्थल, दुर्घटना का जोखिम और सामाजिक सुरक्षा की सीमित उपलब्धता जैसी समस्याएँ सामने आ सकती हैं। यहाँ प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को बंधुआ श्रमिक मानना उचित नहीं है, लेकिन ठेकेदार पर अत्यधिक निर्भरता कुछ श्रमिकों के शोषण का जोखिम बढ़ा सकती है। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों की स्थिति ने रोजगार, आवागमन, भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मानवाधिकार प्रश्नों को व्यापक रूप से सामने रखा। रोजगार समाप्त होने और आवागमन की कठिनाइयों के कारण अनेक श्रमिक असुरक्षित स्थिति में पहुँचे। इन चारों प्रतिदर्शों से स्पष्ट होता है कि बंधुआ मजदूरी, प्रवासी श्रम, मानवाधिकार और कानूनी संरक्षण को अलग-अलग न देखकर उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर समझना आवश्यक है।

कानूनी संरक्षण और वास्तविक स्थिति : भारत में बंधुआ मजदूरों और प्रवासी श्रमिकों के लिए संवैधानिक तथा कानूनी संरक्षण की व्यवस्था मौजूद है, लेकिन कानून और उसके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच अंतर दिखाई देता है। बंधुआ मजदूरी के मामलों में सबसे पहली चुनौती श्रमिकों की पहचान करने की होती है। कई बार बंधुआ मजदूरी खुले रूप में दिखाई नहीं देती, बल्कि ऋण, अग्रिम राशि, कम मजदूरी और नियोजित या ठेकेदार पर निर्भरता के माध्यम से बनी रहती है। ऐसे श्रमिकों की पहचान के बाद उनकी मुक्ति और कानूनी सहायता आवश्यक होती है। केवल श्रमिक को बंधन से मुक्त कर देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसके सामने रोजगार, आय और रहने की समस्या बनी रह सकती है। पुनर्वास की व्यवस्था कमजोर होने पर मुक्त श्रमिक दोबारा आर्थिक निर्भरता और शोषण की स्थिति में पहुँच सकता है। इसलिए मुक्ति के साथ वैकल्पिक रोजगार, आर्थिक सहायता, आवास, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है।

प्रवासी श्रमिकों के मामले में कानूनी पहचान और पंजीकरण भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रमिकों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के कारण उनकी पहचान, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जानकारी का अभाव हो सकता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अनेक श्रमिकों को सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं तक नियमित पहुँच नहीं मिल पाती। दुर्घटना, बीमारी, बेरोजगारी या संकट की स्थिति में यह असुरक्षा और बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त मूल राज्य और कार्यस्थल वाले राज्य के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है, ताकि श्रमिकों को मजदूरी, आवास, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और कानूनी सहायता जैसी सुविधाएँ मिल सकें। इस प्रकार कानूनी संरक्षण की वास्तविक प्रभावशीलता केवल कानून बनाने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि श्रमिकों की पहचान → कानूनी संरक्षण → मुक्ति → पुनर्वास → सामाजिक सुरक्षा → राज्यों के बीच समन्वय की पूरी प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।

वर्तमान चुनौतियाँ : भारत में बंधुआ मजदूरी और प्रवासी श्रम से जुड़े मानवाधिकारों की रक्षा के सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। बंधुआ मजदूरी का एक बड़ा हिस्सा अब खुले रूप में दिखाई नहीं देता, बल्कि ऋण, अग्रिम भुगतान, कम मजदूरी और ठेकेदार व्यवस्था के माध्यम से छिपे हुए रूप में सामने आ सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक रोजगार प्राप्त करने के लिए ठेकेदारों और बिचौलियों पर निर्भर रहते हैं, जिससे कुछ परिस्थितियों में उनका श्रम शोषण बढ़ सकता है। प्रवासी श्रमिकों का बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है, जहाँ रोजगार की स्थिरता, उचित मजदूरी और सुरक्षित कार्यस्थल की समस्या बनी रहती है। निर्माण, ईंट-भट्ठा, कृषि और अन्य असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को लंबे समय तक काम, मजदूरी में कटौती, मजदूरी भुगतान में देरी तथा दुर्घटनाओं के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। मानव तस्करी और जबरन श्रम का जोखिम भी विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए चिंता का विषय है जो गरीबी और रोजगार की असुरक्षा के कारण बिचौलियों पर निर्भर होते हैं।

इन समस्याओं के साथ श्रमिकों की पहचान और पंजीकरण की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। प्रवासी श्रमिकों के बार-बार स्थान बदलने के कारण उनके रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जानकारी का व्यवस्थित रूप से उपलब्ध होना कठिन हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य, दुर्घटना, बीमा, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं तक उनकी पहुँच सीमित रह सकती है। दूसरी ओर, बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास की प्रक्रिया भी कई स्थानों पर प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता रखती है। कानूनों के बावजूद यदि प्रशासनिक निगरानी कमजोर हो, शिकायतों पर समय

पर कार्रवाई न हो और श्रमिकों को कानूनी सहायता न मिले, तो कानूनी संरक्षण का वास्तविक लाभ सीमित हो जाता है। मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए स्थायी रोजगार और आर्थिक पुनर्वास की कमी भी पुनः शोषण का जोखिम पैदा कर सकती है। इसलिए इन चुनौतियों का समाधान पहचान, पंजीकरण, कानूनी सहायता, सुरक्षित रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, प्रभावी निगरानी और पुनर्वास को मजबूत करके ही किया जा सकता है।

निष्कर्ष : भारत में बंधुआ मजदूरी और प्रवासी श्रम की समस्याएँ केवल रोजगार और मजदूरी से जुड़ी समस्याएँ नहीं हैं, बल्कि इनका सीधा संबंध मानव गरिमा, स्वतंत्रता, शोषण से मुक्ति और सामाजिक सुरक्षा जैसे मानवाधिकारों से है। गरीबी, ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, असुरक्षित रोजगार और ठेकेदार व्यवस्था ने समय-समय पर श्रमिकों की असुरक्षा को बढ़ाया है। विशेष रूप से बंधुआ मजदूरी में श्रमिक की श्रम-स्वतंत्रता प्रभावित होती है, जबकि प्रवासी श्रमिकों के सामने रोजगार की अनिश्चितता, उचित मजदूरी, सुरक्षित कार्यस्थल और सामाजिक सुरक्षा जैसी समस्याएँ प्रमुख रूप से सामने आती हैं। हालांकि प्रत्येक प्रवासी श्रमिक बंधुआ मजदूर नहीं है और प्रत्येक बंधुआ मजदूर प्रवासी श्रमिक नहीं है, फिर भी कुछ सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में दोनों समस्याओं के बीच संबंध दिखाई दे सकता है।

सामाजिक आंदोलनों, श्रमिक संगठनों, मानवाधिकार संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों और न्यायपालिका के हस्तक्षेप से श्रमिकों के अधिकारों तथा कानूनी संरक्षण का विस्तार हुआ। संविधान और श्रम कानूनों ने इस संरक्षण को आधार प्रदान किया। इसके बावजूद कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, बंधुआ मजदूरों की पहचान एवं पुनर्वास, उचित मजदूरी, प्रवासी श्रमिकों की पहचान और सामाजिक सुरक्षा आज भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं। अतः मानवाधिकार संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कानून के साथ उसके वास्तविक क्रियान्वयन और श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर निरंतर ध्यान आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

प्राथमिक स्रोत :

1. भारत का संविधान। नई दिल्ली : भारत सरकार, 1950।
2. बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976। नई दिल्ली : भारत सरकार, 1976।
3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948। नई दिल्ली : भारत सरकार, 1948।
4. अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979। नई दिल्ली : भारत सरकार, 1979।
5. बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय, 1984।

द्वितीयक स्रोत :

1. श्रीवास्तव, रवि। प्रवासी निर्माण श्रमिकों और ग्रामीण गरीबी से संबंधित अध्ययन। नई दिल्ली : मानव विकास संस्थान, 2016।
2. सेन, समिता। महिलाएँ और औपनिवेशिक भारत में श्रम : बंगाल जूट उद्योग। कैम्ब्रिज : कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999।
3. सेन, अमर्त्य। विकास की स्वतंत्रता। नई दिल्ली : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999।
4. शर्मा, के. एल. भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन। जयपुर : रावत प्रकाशन, 1996।
6. देशपांडे, अश्विनी। जाति की व्याकरण : समकालीन भारत में आर्थिक भेदभाव। नई दिल्ली : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2011।

समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएँ :

1. द हिन्दू। चेन्नई, 1878-वर्तमान।
2. इंडियन एक्सप्रेस। नई दिल्ली, 1932-वर्तमान।
3. हिन्दुस्तान। नई दिल्ली, 1936-वर्तमान।
4. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। मुंबई, 1966-वर्तमान।
5. इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स। नई दिल्ली, 1958-वर्तमान।

•